

कमांक 1356 म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,भोपाल

दिनांक 13/8/2014

प्रति,

जीतेन्द्र सिंह जाटव
पुलिस लाईन न्यू कालोनी
मकान नम्बर 05
जिला-पन्ना (म.प्र.)
मोबाईल नम्बर - 09981261828

विषय:-मध्यप्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों द्वारा यू.जी.सी. के नियमों का पालन ना किये जाने संबंध में।

सन्दर्भ:-आपका पत्र कमांक 1534/294/सी.सी./14/अडतीस भोपाल दिनांक 04.08.2014

आपके द्वारा की गई शिकायत के संदर्भ में उल्लेख है कि कोई भी निजी विश्वविद्यालय अपने मुख्य परिसर को छोड़कर कहीं भी किसी प्रकार की कक्षाएँ या परीक्षा संचालित नहीं कर सकती है और यदि कोई भी विश्वविद्यालय ऐसा कर रहा है तो वह असंवैधानिक है और उसका यह कृत्य अपराध की श्रेणी में आता है इस संदर्भ में आयोग समाचार माध्यमों तथा अन्य प्रचार प्रसार माध्यमों से आमजन को सूचित भी किया जाता है। छात्र एवं पालक हित में आपके द्वारा किया गया यह कार्य अति सराहनीय है। आपकी शिकायत के संदर्भ में यदि कोई साक्ष्य आपके पास उपलब्ध है तो अतिशीघ्र आयोग को उपलब्ध करवाने का कष्ट करें। आयोग इस संदर्भ में अति संवेदनशील है तथा साक्ष्य मिलने पर इन विश्वविद्यालयों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी।

(चेयरमैन द्वारा अनुमोदित)

O/C

(डॉ० पी०के० खन्ना)
सचिव

पृष्ठांकनं कमांक 1357 म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,भोपाल

दिनांक 13/8/2014

प्रतिलिपि:- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।

AR BR
17/6

O/C

(डॉ० पी०के० खन्ना)
सचिव